न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्याः—2020/00209

1. रतनलाल पुत्र रामा,
2. शंकरलाल पुत्र रामा,
   जाति बैरवा, निवासी जातीपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. रामदेव पुत्र श्रीराम, जाति धाकड़, निवासी जातीपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भवानीराम कुरमी नायब तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. रामसिंह, भू—अभिलेख निरीक्षक, स्यार, तह0 सरवाड, जिला अजमेर ।
3. बजरंगलाल माहेश्वरी, भू—अभिलेख निरीक्षक, हरपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. मनोज कुमार, पटवारी हल्का, स्यार, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. लक्ष्मीनारायण जोशी, पटवारी हल्का हिंगतडा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर
6. देवा पुत्री छोगा, जाति धाकड़, निवासी जातीपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील प्रार्थीगण ।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 स्वंय उपस्थित ।
3. श्री हसन खान, वकील अप्रार्थी संख्या 6.
4. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 24.11.2021

1. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
2. विद्वान वकील प्रार्थीगण ने अवमानना प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 6 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 614 व 619 कुल किता 2 कुल रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा जो कि ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ में अवस्थित है व निर्विवाद काबिज काश्त है । अप्रार्थी की आराजियात के पूर्वी ओर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है तथा उसके सटी हुई आराजी खसरा नंबर 615 तथा जिसके हाल खसरा नंबर 966 दर्ज है । अप्रार्थी स्वंय की आराजी खसरा नंबर 614 जिसके हाल खसरा नंबर 967 कायम हुए है में आने जाने हेतु

खसरा नंबर 616 जो कि गैर मुमकिन चारागाह में होते हुए खसरा नबर 615 के दक्षिणी मेड़ के सहारे अप्रार्थी स्वंय की आराजी पर कृषि कार्य हेतु आता जाता है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण अप्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न करते है । अतः प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबर 615 की दक्षिणी मेड़ के सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रार्थीगण की तामील कराये बिना पटवारी की एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश दिनांक 31.12.2019 को पारित किये । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 15.9.2020 को अपील संख्या 166/2020 पेश की गई जो एडमिशन व स्थगन पर सुनवाई हेतु दिनांक 17.9.2020 को नियत की गई । उक्त दिनांक को धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु अप्रार्थी देवा पुत्र छोगा व तहसीलदार, सरवाड़ को नोटिस जारी किये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 12.10.2020 नियत की गई । दिनांक 12.10.2020 को नोटिस लौटकर नहीं आने से पत्रावल वास्ते इंतजार नोटिस दिनांक 14.10.2020 नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 14.10.2020 को प्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात पर अप्रार्थीगण जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है इसलिये विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश प्रदान करावे । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.10.2020 को विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये । उक्त स्थगन आदेश के संबंध में प्रार्थीगण पक्षकार द्वारा तहसीलदार, सरवाड़ के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिसमें अंकित किया कि उक्त आदेश की दस्ती एक दो दिन में प्रार्थीगण प्रस्तुत कर देगा । तहसीलदार ने अप्रार्थी संख्या 6 से सांठगांठ होने के कारण उक्त शपथ पत्र की प्राप्ति प्रार्थी को नही दी । उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद दिनांक 15.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने मौके पर जाकर जबरदस्ती रास्ता खुलवा दिया । अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं करने के कारण दोषी होना सिद्ध करता है । यदि न्यायालय हाजा के आदेशों की अवमानना का यही क्रम चलता रहा तो आमजन में भी न्यायालय के आदेशों के प्रति को सम्मान नही बचेगा । ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना कारित करने बाबत् अप्रार्थीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 की अप्रार्थीगण द्वारा अवमानना किये जाने से भारी आर्थिक दण्ड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे ।

3. विद्वान अप्रार्थी संख्या 6 ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 की जानकारी अप्रार्थीगण को नही थी तथा अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की जानकारी तत्सयम होने के संबंध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । यदि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश के संबंध में कोई शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तो उसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी अवश्य प्राप्त करता । प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

4. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी ने न्यायालय

हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 14.10.2020 की जानकारी होने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा अवहेलना किये जाने के संबंध में अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 2020/00166 बउनवान रतनलाल व अन्य बनाम देवा व अन्य दिनांक 15.9.2019 को पेश की है जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा रेस्पो0 को नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये । दिनांक 12.10.2020 की आदेशिका के अनुसार रेस्पो0 को जारी नोटिस लौटकर नहीं आये, इंतजार नोटिस रखे जाने के आदेश पारित किये गये है । तत्पश्चात् दिनांक 14.10.2020 को अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 14.10.2020 को स्थगन आदेश पारित किये कि "आगामी पेशी दिनांक तक उभयपक्षकारान विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेगे ।" अपीलांटस ने न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.10.2020 को जारी स्थगन आदेश के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष एक शपथ पत्र पेश कर स्थगन आदेश पारित होने तथा आदेश की दस्ती एक दो दिन में प्रस्तुत करने का निवेदन करने संबंधी कथन किया है किन्तु प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र पेश करने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप कोई प्राप्ति रसीद पेश नहीं की है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थीगण को अधी0न्याया0 द्वारा पारित स्थगन आदेश की दिनांक 14.10.2020 को जानकारी हो चुकी थी । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 6 को न्यायालय हाजा द्वारा जारी नोटिस इंतजार में थे जिससे यह भी नही माना जा सकता कि अप्रार्थी संख्या 6 को न्यायालय हाजा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा दिनांक 14.10.2020 को पारित स्थगन आदेश की जानकारी आदेश दिनांक को रही हो । अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा अवहेलना किये जाने संबंधी तथ्यों को प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहे । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है ।

5. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

6. निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर